

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, गढ़वा।

(सामान्य शाखा)

आदेश

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम **Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce Production, Supply and Distribution Act 2003 (COTPA-2003)** को गढ़वा जिला में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 16/NTPC/13 राँची दिनांक 09.05.2013 के आलोक में उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, गढ़वा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति {District Level Tobacco Control Coordination Committee} (DLCC) का गठन किया जाता है। जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति में विभिन्न विभागों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के निम्नांकित सदस्य होंगे :

1. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, गढ़वा	:	अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक, गढ़वा	:	सदस्य
3. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चि0 पदा0, गढ़वा	:	सदस्य सचिव
4. अपर समाहर्ता-सह-विशेष नोडल पदा0, तंबाकू नियंत्रण, गढ़वा	:	सदस्य-सह-मुख्य समन्वयक
5. उप विकास आयुक्त, गढ़वा	:	सदस्य
6. जिला नोडल पदा0, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, गढ़वा	:	सदस्य-सह-समन्वयक
7. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गढ़वा	:	सदस्य
8. जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा	:	सदस्य
9. जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, गढ़वा	:	सदस्य
10. जिला परिवहन पदाधिकारी, गढ़वा	:	सदस्य
11. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, गढ़वा	:	सदस्य
12. अध्यक्ष, आई0एम0ए0, गढ़वा	:	सदस्य
13. सचिव, भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी, गढ़वा	:	सदस्य
14. सचिव, रोटरी क्लब, गढ़वा	:	सदस्य
15. प्रतिनिधि, सोशियो ईकोनोमिक एण्ड ऐजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), गढ़वा	:	सदस्य
16. प्राचार्य, रा0कू0 गोविन्द उच्च विद्यालय, गढ़वा	:	सदस्य
17. प्राचार्य, श्री सदगुरु जगजीत सिंह नामधारी महाविद्यालय, गढ़वा	:	सदस्य

उक्त समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगी जो निम्नलिखित है:-

- COTPA -2003 को पूरे गढ़वा जिले में प्रभावी रूप से लागू करवाने, चालान (दण्ड) व्यवस्था शुरू कराने एवं मूल्यांकन तथा अनुश्रवण में सहयोग करना।
- तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हो ताकि केन्द्र सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो पाये।
- गढ़वा जिला/प्रखण्डों की अनुश्रवण/रहनुमाई समिति का गठन तथा उसकी बैठक नियमित रूप से त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित किया जाना है।
- यह सुनिश्चित करना कि अधिकृत अधिकारी अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से अनुपालन कर रहे हैं तथा उनके द्वारा तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कितने मामलों में फ़ैसला लिया गया है।
- तम्बाकू से संबंधित मामले पर निर्णय लेना तथा प्रखण्ड स्तरीय समिति को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना।
- भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4, 5, 6 एवं 7 के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों में कार्रवाई करना तथा राज्य/जिला स्तरीय समिति को सूचित करना।

- > DLCC के मनोनीत सदस्यों की त्रैमासिक बैठक का आयोजन सुनिश्चित करना।
- > तम्बाकू और संबद्ध उत्पादों के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष एवं surrogate विज्ञापन के बारे में शिकायत दर्ज कराने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करना तथा प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना।

ह0/-

डॉ मनीष रंजन (भा0प्र0से0)
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।

ज्ञापांक..... / गढ़वा, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- सभी नामित सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- आयुक्त, पलामू प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

डॉ मनीष रंजन (भा0प्र0से0)
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।

ज्ञापांक..... 54 / गढ़वा, दिनांक..... 19.01.2015

प्रतिलिपि :- राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

Manish Raja
डॉ मनीष रंजन (भा0प्र0से0)
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, गढ़वा।
(सामान्य शाखा)

आदेश

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अपर समाहर्ता, गढ़वा को जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का विशेष नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण) नामित किया जाता है। विशेष नोडल पदाधिकारी जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का जिले में सफल संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही गढ़वा जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/-

डॉ मनीष रंजन (भा0प्र0से0)
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।

ज्ञापांक..... / गढ़वा, दिनांक.....

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता-सह-विशेष नोडल पदाधिकारी, गढ़वा/जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, गढ़वा/सभी नामित सदस्यों/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र, जिला गढ़वा /जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गढ़वा/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गढ़वा जिला/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गढ़वा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गढ़वा/सभी कार्यालय प्रधान, गढ़वा जिला/श्रम अधीक्षक, गढ़वा/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), गढ़वा, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गढ़वा/उप विकास आयुक्त, गढ़वा/पुलिस अधीक्षक, गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, पलामू प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

डॉ मनीष रंजन (भा0प्र0से0)
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।

ज्ञापांक..... 52..... / गढ़वा, दिनांक..... 19-01-2015

प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

Mail Raja
डॉ मनीष रंजन (भा0प्र0से0)
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, गढ़वा।

(सामान्य शाखा)

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ जिला स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

जिला स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे:-

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. अपर समाहर्ता-सह-विशेष नोडल पदा०, तंबाकू नियंत्रण, गढ़वा | - | अध्यक्ष |
| 2. आरक्षी उपाधीक्षक (मुख्यालय), गढ़वा | - | सदस्य |
| 3. जिला परिवहन पदाधिकारी, गढ़वा | - | सदस्य |
| 4. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गढ़वा | - | सदस्य |
| 5. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, गढ़वा | - | सदस्य |
| 6. औषधि निरीक्षक, गढ़वा | - | सदस्य |
| 7. जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा | - | सदस्य |
| 8. जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जिला स्वास्थ्य समिति), गढ़वा | - | सदस्य |
| 9. श्रम अधीक्षक, गढ़वा | - | सदस्य |
| 10. संबंधित थानाध्यक्ष, गढ़वा | - | सदस्य |
| 11. जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण), गढ़वा | - | समन्वयक |

जिला नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण इस छापामार दस्ते के साथ समन्वय स्थापित कर सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित करेंगे। साथ ही प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

डॉ मनीष रंजन (भा०प्र०से०)
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।

- ज्ञापांक..... / गढ़वा, दिनांक.....
- प्रतिलिपि :- उपरोक्त सभी पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गढ़वा/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गढ़वा/जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, गढ़वा/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, गढ़वा/जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी, गढ़वा/जिला परिवहन पदाधिकारी, गढ़वा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०/डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०, /जिला शिक्षा पदाधिकारी/सिविल सर्जन/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, गढ़वा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पलामू प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

डॉ मनीष रंजन (भा०प्र०से०)
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।

ज्ञापांक.....59...../गढ़वा, दिनांक...19.01.2015

- प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

Chait Raja
 डॉ मनीष रंजन (भा0प्र0से0)
 उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
 जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
 समिति, गढ़वा।

आज्ञा है कि मनीष रंजन को राज्य परामर्शी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
 जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति, गढ़वा।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
 जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति, गढ़वा।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, गढ़वा।
(सामान्य शाखा)

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

1. अनुमंडल पदाधिकारी	—	अध्यक्ष
2. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी	—	सदस्य
3. कार्यपालक दण्डाधिकारी	—	सदस्य
4. अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी	—	सदस्य
5. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल मुख्यालय	—	सदस्य
6. अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी	—	सदस्य
7. संबंधित थानाध्यक्ष	—	सदस्य

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में उक्त छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य में अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल स्तर के अन्य पदाधिकारियों की भी सेवाएँ ले सकते हैं।

ह0/-

डॉ मनीष रंजन (भा0प्र0से0)
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।

ज्ञापांक..... /गढ़वा, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- उपरोक्त सभी पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गढ़वा/जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, गढ़वा/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0/डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0/जिला शिक्षा पदाधिकारी/सिविल सर्जन/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, गढ़वा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, पलामू प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

डॉ मनीष रंजन (भा0प्र0से0)
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।

ज्ञापांक.....५४.....

/ गढ़वा, दिनांक.....19.01.2015.....

- प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

Chaisl Raja
डॉ मनीष रंजन (भा०प्र०से०)
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, गढ़वा।

(सामान्य शाखा)

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता जो सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

1. प्रखंड विकास पदाधिकारी	-	अध्यक्ष
2. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	-	समन्वयक सदस्य
3. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी	-	सदस्य
4. प्रखंड कृषि पदाधिकारी	-	सदस्य
5. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	-	सदस्य
6. प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक	-	सदस्य
7. संबंधित थानाध्यक्ष	-	सदस्य

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में इस छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। वे आवश्यकतानुसार अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकेंगे, साथ ही उनके द्वारा प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवाएँ ली जा सकती हैं।

ह0/-

डॉ मनीष रंजन (भा0प्र0से0)
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।

ज्ञापांक..... /गढ़वा, दिनांक.....

- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गढ़वा/जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, गढ़वा/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0/डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0/जिला शिक्षा पदाधिकारी/सिविल सर्जन/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, गढ़वा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पलामू प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

डॉ मनीष रंजन (भा0प्र0से0)
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।

ज्ञापांक..... 57

/ गढ़वा, दिनांक..... 19.01.2015

- प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
✓ प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(*Manish Raja*)
डॉ मनीष रंजन (भा0प्र0से0)
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।

(अधीनस्थ) राज्य सचिव
स्वास्थ्य-आ-झारखण्ड
राज्य नोडल पदाधिकारी
जिला समिति

(अधीनस्थ) राज्य सचिव
स्वास्थ्य-आ-झारखण्ड
राज्य नोडल पदाधिकारी
जिला समिति

ज्ञापांक.....

/ गढ़वा, दिनांक.....

- प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, गढ़वा/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, गढ़वा/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र/प्रा0 स्वा0 केन्द्र, जिला गढ़वा/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गढ़वा/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गढ़वा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गढ़वा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गढ़वा/सभी सी0डी0पी0ओ0, गढ़वा/श्रम अधीक्षक, गढ़वा/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), गढ़वा/जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण, गढ़वा/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गढ़वा एवं पुलिस अधीक्षक, गढ़वा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, गढ़वा को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना और समाहरणालय परिसर एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर इस आशय का बोर्ड/होर्डिंग लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पलामू प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

डॉ मनीष रंजन (भा0प्र0से0)
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।

ज्ञापांक.....६६.....

/ गढ़वा, दिनांक.....19.01.2015.....

- प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(M. S. Raja)
डॉ मनीष रंजन (भा0प्र0से0)
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, गढ़वा।
(सामान्य शाखा)

आदेश

गढ़वा जिला के कई स्थानों पर तम्बाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का प्रचार-प्रसार बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, के धारा 5(1) एवं 5(3) के अनुसार किसी भी तम्बाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार "धारा 5 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास/रूपये 1000/- (रूपये एक हजार) का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है"।

अतः सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/दुकानदारों/व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि किसी भी तम्बाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रचार-प्रसार करना बंद करें एवं गढ़वा जिला में लगाये गये इस तरह के बैनर्स/पोस्टर्स/होर्डिंग्स/दिवाल लेखन इत्यादि को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/-

डॉ मनीष रंजन (भा0प्र0से0)
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।

ज्ञापांक..... / गढ़वा, दिनांक.....
प्रतिलिपि :- गढ़वा जिला के सभी संबंधित एजेंसियों/संस्थाओं/तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पालिका, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
ह0/-

डॉ मनीष रंजन (भा0प्र0से0)
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।

ज्ञापांक..... / गढ़वा, दिनांक.....
प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, गढ़वा/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, गढ़वा/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र, जिला गढ़वा/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गढ़वा/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गढ़वा/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गढ़वा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गढ़वा/सभी सी0डी0पी0ओ0, गढ़वा/श्रम अधीक्षक, गढ़वा/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), गढ़वा/जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण, गढ़वा/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गढ़वा एवं पुलिस अधीक्षक, गढ़वा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, गढ़वा को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, पलामू प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

डॉ मनीष रंजन (भा0प्र0से0)
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।

ज्ञापांक.....५३.....

/ गढ़वा, दिनांक 19.01.2015

- प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
✓ प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(Manil Raja
डॉ मनीष रंजन (भा0प्र0से0)
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, गढ़वा।
(सामान्य शाखा)

आदेश

धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा 6 A के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानों पर यह बोर्ड लगाना अनिवार्य है। इस अधिनियम के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। फ्लैक्स बैनर का प्रारूप निम्न प्रकार है :-



जिला के सभी तम्बाकू उत्पाद यथा- बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा एवं अन्य निकोटिनयुक्त पान मसाला तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने दुकानों पर यह बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रु0 तक दंड का प्रावधान है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/-

डॉ मनीष रंजन (भा0प्र0से0)
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।

ज्ञापांक..... /गढ़वा, दिनांक.....

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, गढ़वा/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, गढ़वा/सिविल सर्जन, गढ़वा/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, गढ़वा/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गढ़वा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा/सभी सी0डी0पी0ओ0, गढ़वा/श्रम अधीक्षक, गढ़वा/पुलिस अधीक्षक, गढ़वा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, गढ़वा को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, पलामू प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

डॉ मनीष रंजन (भा0प्र0से0)
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।

ज्ञापांक.....५६.....

/ गढ़वा, दिनांक.....19.01.2015.....

- प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
✓ प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(*Prasanna Raja*)
डॉ मनीष रंजन (भा0प्र0से0)
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, गढ़वा।

(सामान्य शाखा)

आदेश

धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (6) के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद को बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है, साथ ही विद्यालय के मुख्य द्वार पर तम्बाकू के दुष्प्रभाव से संबंधित पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स लगाने एवं दीवार लेखन का निदेश दिया जाता है, जिसका प्रारूप निम्न प्रकार

60cmx 60 cm (15cm+30cm+15cm)

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान

इस शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है, उल्लंघन करने वालों पर 200/- रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

आदेशानुसार

शिक्षण संस्थान के अधिकारी का नाम: _____

शिक्षण संस्थान का नाम: _____

जिला के सभी सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को निदेशित किया जाता है कि अपने-अपने शिक्षण संस्थान में उपरोक्त प्रारूप का दीवार लेखन एवं 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रु० तक दंड का प्रावधान है, साथ में इसकी सूचना प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा को निदेश दिया जाता है कि आम जन के बीच तम्बाकू के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण पर प्रभात-फेरी के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित करें, साथ ही प्रत्येक महीने समीक्षात्मक बैठक में तम्बाकू नियंत्रण के तहत की गयी कार्रवाई की समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-

डॉ० मनीष रंजन (भा०प्र०से०)

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष

जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।



10/02/15
11/1/15
10/02/15

ज्ञापांक..... / गढ़वा, दिनांक.....

- प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा/सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, गढ़वा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गढ़वा/जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण, कार्यक्रम गढ़वा/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गढ़वा एवं पुलिस अधीक्षक, गढ़वा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, गढ़वा को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश को जिला स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पलामू प्रमंडल/पुलिस उप महानिरीक्षक, पलामू प्रमंडल, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

डॉ मनीष रंजन (भा0प्र0से0)
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।

ज्ञापांक..... 51..... / गढ़वा, दिनांक..... 19-01-2015

- प्रतिलिपि : राज्य नोडल पदाधिकारी, राज्य परामर्शी, एन0सी0डी0 सेल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
- ✓ प्रतिलिपि : अभियान निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन समिति, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

Manish Rajan
डॉ मनीष रंजन (भा0प्र0से0)
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय
समिति, गढ़वा।